न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :12/2024 G.C.M.S. No. 2024/88 दर्ज दिनांक : 22.02.2024

अपीलार्थी:

1. चिमनसिंह पुत्र खीमसिंह जी, जाति रावत, उम्र 57 वर्ष, निवासी आई. ओ.सी. रोड़, सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज.)।
2. प्रभुसिंह पुत्र मानसिंह जी, जाति रावत, उम्र 72 वर्ष, निवासी आई.सी. रोड़, सेन्दड़ा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गंगाराम पुत्र गोपीलाल जाति कुम्हार, निवासी मैन बाजार, सेन्दड़ा, तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज.)।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रायपुर जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2016 बअनवान गंगाराम बनाम चिमनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024

पैरोकार:–

1. श्री श्याम पंचारिया, श्रीमती अजूं चौधरी, मो. ईरफान भाटी, श्रीमती गरीमा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2016 बअनवान गंगाराम बनाम चिमनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 की विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सेन्दड़ा पटवार हल्का सेन्दड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेन्दड़ा, तहसील रायपुर जिला ब्यावर में खसरा नं. 618 रकबा 0.0506 बारानी दोयम, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.0506 बारानी दोयम आई हुई है। वादग्रस्त आराजी वादी की राजस्व रेकर्ड में कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावें तथा बतौर हर्जाना के लगान की राशि का 15 गुणा रकम भी दिलवाई जावें व पक्का निर्माण प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावें। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया संहिता की पालना किये बिना वादी के वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पत्र के आधार पर एवं मौखिक कथनों के आधार पर वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय डिक्री जारी कर वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलाने एवं प्रतिवादीगण को बेदखली करने तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाने के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री भंवरलाल जनागल द्वारा उक्त वाद पत्रावली में जवाबदावा दिनांक 23.02.2018 पेश करने के बाद तनकीयात कायम हेतु नियत की गई तथा दिनांक 26.09.2019 तक कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। तथा दिनांक 26.09.2019 को वादी की ओर से तनकीयात प्रस्तावित की गई। उक्त आदेशिका के बाद किसी भी आदेशिका पर तनकीयात निर्धारित नहीं की गई, नही उसी अंतिम रूप से मानी गई । इस प्रकार सम्पूर्ण वादपत्र में पक्षकारों के वाद कथन एवं जवाब कथन अनुसार कोई तनकियात का निर्धारण नहीं हुआ। इस प्रकार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के अनुसार तथ्य विवाद्यक व विधि विवाद्यक का निर्धारण नहीं किया गया। वाद के पक्षकारों के मध्य विवाद्यक बिन्दु कायम होने के बाद पक्षकारों को सीपीसी के आदेश 18 की पालना करते हुये, उन्हे साक्ष्य पेश करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया, न ही न्यायालय द्वारा इस तरह की कोई आदेशिका दर्ज की गई तथा दर्ज किये बिना प्रतिवादी पक्षकार को न्याय से वंचित करते हुए दिनांक 08.02.2024 को वाद के पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना एवं वाद पत्रावली पर दिनांक 08.02.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनने के बाद उक्त आवेदन को खारिज करते हुये सम्पूर्ण वाद पत्र को ही मौखिक कथनों के आधार पर वादी के पक्ष में निस्तारित कर दिया। जैर अपीलाधीन निर्णय में तनकीयात बनाये जाने का उल्लेख किया गया, जिसमें पक्षकारों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। तथा ऐसी तनकीयात को आदेश 20 नियम 5 के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णित की जाना आज्ञापक है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.01.2024 को किसी भी पक्षकारों के लिखित आवेदन के बिना मौका रिपोर्ट तलब करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया तथा दिनांक 07.02.2024 को जो मौका रिपोर्ट बनायी गई। उक्त रिपोर्ट में प्रतिवादी के मकान व बाड़े 30 वर्ष पुराने होना तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी पक्षकार का कब्जा होना बताया गया। उक्त मौका फर्द जो किसी वाद के पक्षकारों को मौके पर तलब किये बिना एवं उन्हें सूचित किये बिना तैयार की गई। इस प्रकारा उन्हे उपस्थित रहने हेतु कोई नोटिस भी लिखित तौर से जारी नही किया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 01.02.2024 को हल्का पटवारी मौके पर प्रतिवादी पक्षकार का कब्जा होना तथा उनके मकान तथा बाड़े वर्तमान में स्थित होना उल्लेख किया तथा उक्त मकान व बाडे 30 वर्ष पुराने होना उल्लेख किया, जब पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई तो ऐसी सद्भाविक साक्ष्य को नही मानने का कोई आधार जैर अपील निर्णय में दर्ज नहीं किया। जबकि किसी पक्षकार की भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से शांतिपूर्वक एवं बिना किसी रोकटोक के भौतिक रूप से कब्जा है तथा उक्त अवधि में कभी उन्हें बेदखल करने हेतु प्रयास नहीं किया है तो ऐसी व्यक्ति के अधिकार सदैव के लिए निर्वाप्त हो जाते तथा मौके पर काबिज व्यक्ति को मालिकाना अधिकार उत्पन्न होते उक्त मौका रिपोर्ट की सुसंगत साक्ष्य को नहीं मानने को कोई आधार पर जैर अपीलाधीन निर्णय में दर्ज नहीं किया तथा उक्त दिनांक 08.02.2024 को प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद थे, उनकी किसी भी बहस के तर्को का इन्द्राज नहीं किया न ही तनकीयात अनुसार विवेचन किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 का निरस्त फरमायी जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड फरमावें कि वादी के वादपत्र व प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार तथा विधि अनुसार तनकीयात कायम कर वाद के पक्षकारों की साक्ष्य ली जाने के बाद उन्हे साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद पुनः न्याय संगत निर्णय व डिक्री प्रत्येक तनकी साक्ष्य अनुसार विवेचित करते हुये पारित करे। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलाण्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा व मेडेटरी प्रोहिबेटरी एवं कब्जा दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर दिनांक 08.02.2025 का निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगस्त अपील अदंर मियाद प्रस्तुत की गयी।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर 5 विवाद्यक कायम किये, लेकिन प्रकंरण में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिये बिना तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी व साक्ष्यप्रतिवादी में नियत किये बिना प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब कर तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो हमारे विन्रम मत में वादपत्रों के निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 व राजस्थान राजस्व मैन्यूअल में उपबंधित आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णित किये बिना प्रकरण में दीगर प्रक्रिया संपादित करते हुए अपीलाधीन निर्णय के साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित कर खारिज किया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है, क्योकि वादपत्र में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दीगर प्रक्रिया को उसी स्तर पर रोकते हुए सर्वप्रथम उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना आज्ञापक है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त मौका/कब्जा रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार द्वारा मौके पर मकान व बाड़े लगभग 30 वर्ष पुराने निर्णित होना अंकित किया गया। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बेदखली व कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत वादपत्र में अधिनियम में ही परिसीमा अवधि निर्धारित है। तथा उक्त परिसीमा अवधि में छूट दिया जाना का कोई विधिक प्रावधाना नहीं है अर्थात यह आज्ञापक है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये जाने के बावजूद उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना तथा विवाद्यकवार विवेचन व निर्णय किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों का निस्तारण वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक आदि विरचित कर उक्त उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री किया जायेगा, लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के अनुपालन का सर्वथा अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने व विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

7. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य व संगत विधिक प्रावधानों का समुचित परीक्षण व विवेचन तथा सकारण निर्णयन किये बिना फौरी–तोर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दोष पूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं होने से तथा अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः उक्त दोनों अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2016 बअनवान गंगाराम बनाम चिमनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण में उभयपक्षकारान् को साक्ष्य व प्रतिरक्षा आदि का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानो के आलोक में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 03.11.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, रायपुर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner